रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 164] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 1, 2010/चैत्र 11, 1932
No. 164] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 1, 2010/CHAITRA 11, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2010

सा.का.नि. 278(अ).—केन्द्रीय सरकार, लाटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 (1998 का अधिनियम 17) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लाटरी (विनियमन) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से लाटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 (1998 का 17) अभिप्रेत है;

(ख) "केन्द्रीय कम्प्यूटर सर्वर" से आयोजक राज्य के सीधे नियंत्रण के अधीन किसी केन्द्रीय अवस्थान पर ऐसी गुणज कम्प्यूटर के प्रणाली अभिप्रेत है, जो आन लाइन लाटरी संव्यवहारों को स्वीकार करती है, प्रसंस्कृत करती है, भंडारित करती है और उन्हें विधिमान्य बनाती है या अन्यथा सम्पूर्ण आनलाइन लाटरी प्रणाली का प्रबंध, मानीटर और नियंत्रण करती है;

(ग) "वितरक या विक्रय अभिकर्ता" से आयोजक राज्य की ओर से लाटरियों का विपणन और विक्रय करने के लिए किए गए करार के माध्यम से आयोजक राज्य द्वारा इस प्रकार विधि के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यष्टि या फर्म या निगमित निकाय या अन्य विधिक अस्तित्व अभिप्रेत हैं;

(घ) "ड्रा" से ऐसी पद्धति अभिप्रेत है, जिसके द्वारा पुरस्कार विजेता संख्यांक, यादृच्छिक प्रौद्योगिकी पर आधारित ड्रा मशीन या किसी अन्य यांत्रिकी पद्धति, जो दर्शकों के लिए दृश्यमान रूप से पारदर्शी भी हो, को प्रचालित करके प्रत्येक लाटरी या लाटरी स्कीम के लिए निकाले जाते हैं;

(ङ) "आनलाइन लाटरी" से ऐसे लाटरी टर्मिनलों पर खिलाड़ियों को कम्प्यूटर या आनलाइन मशीन द्वारा जनित लाटरी टिकटों को क्रय करने के लिए अनुज्ञात करने हेतु सृजित प्रणाली अभिप्रेत है, जहाँ टिकट के विक्रय और किसी विशिष्ट संख्या या संख्याओं के समुच्चय की खिलाड़ी की चयन के बारे में सूचना केंद्रीय कम्प्यूटर सर्वर में साथ-साथ रजिस्ट्रीकृत की जाती है;

खिलाड़ी की चयन के बारे में सूचना केंद्रीय कंप्यूटर सर्वर में साथ-साथ रजिस्ट्रीकृत की जाती है ;

(च) "आयोजक राज्य" से वह राज्य सरकार अभिप्रेत है, जो या तो अपने राज्यक्षेत्र में लाटरी संचालित करती है या किसी अन्य राज्य में उसकी टिकटों को विक्रय करती हैं,

(छ) "पुरस्कार" से किसी विजेता संख्याक टिकट के लिए संदेय रकम अभिप्रेत है ;

(ज) "विक्रय आगमों" से किसी विशिष्ट ड्रा या स्कीम या दोनों की लाटरियों की बाबत प्रत्येक टिकट पर मुद्रित अंकित मूल्य पर संगणित टिकटों के विक्रय की बाबत आयोजक राज्य को वितरक द्वारा संदेय रकम अभिप्रेत है ;

(झ) "प्रत्याभूति निक्षेप" से संविदा की सम्यक पूर्ति के लिए किसी भी रूप में वितरक/विक्रय अभिकर्ता द्वारा आयोजक राज्य को संदत्त कोई निक्षेप या रकम या बैंक गारंटी अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किंतु अधिनियम में परिभाषित है, वहीं अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में क्रमशः उनके हैं ।

(3) **लाटरी का आयोजन** - (1) कोई राज्य सरकार अधिनियम और इन नियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए कागज लाटरी या आनलाइन लाटरी या दोनों को आयोजित कर सकेगी ।

(2) राज्य सरकार, यदि वह ऐसा विनिश्चय करे, अपने राजपत्र में अधिसूचना जारी करके लाटरी या लाटरियों को उनके प्रयोजन, परिधि, परिसीमा और पद्धतियों का वर्णन करते हुए, आयोजित कर सकेगी ।

(3) आयोजक राज्य राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से प्रत्येक लाटरी के बारे में अग्रिम रूप से निम्नलिखित सूचना की घोषणा करेगी, अर्थात् :-

(क) लाटरी या लाटरी स्कीम का नाम ;

(ख) लाटरी टिकट की कीमतें ;

(ग) कागज लाटरी की दशा में मुद्रित टिकटों की कुल संख्या ;

(घ) मुद्रित टिकटों का सकल मूल्य ;

(ङ) वितरकों या विक्रय अभिकर्ताओं के उनके पते और संपर्क सूचना सहित नाम ;

(च) पुरस्कार संरचना ;

(छ) पुरस्कार धन के रूप में प्रस्थापित रकम ;

(ज) ड्रॉ की आवधिकता ;

(झ) वह स्थान, जहां ड्रा संचालित किया जाएगा ; और

(ञ) पुरस्कार विजेता टिकटों या पुरस्कार विजेताओं को निकालने के लिए प्रक्रिया ।

(4) यदि कोई आयोजक राज्य एक से अधिक लाटरी आयोजित करने का विनिश्चय करता है तो उपनियम (3) यथाउपबंधित प्रक्रिया का प्रत्येक लाटरी के लिए पालन किया जाएगा ।

(5) कागज लाटरी टिकटें और लेखन सामग्री, जिन पर आनलाइन लाटरी टिकटें जारी की जाती हैं, आयोजक राज्य द्वारा सरकारी मुद्रणालय में या भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय बैंक एसोशिएसन, मुंबई के पैनल में सम्मिलित किसी अन्य उच्च प्रतिभूति मुद्रणालय में मुद्रित की जाएंगी ।

(6) एक साथ चलाई गईं सभी लाटरी स्कीमों से आयोजक राज्य द्वारा बंपर ड्रा के सिवाय लाटरी ड्रा की संख्या प्रतिदिन 24 से अधिक नहीं होगी ।

(7) किसी राष्ट्रीय अवकाश को किसी लाटरी का कोई ड्रा संचालित नहीं किया जाएगा ।

(8) किसी टिकट का न्यूनतम विक्रय मूल्य दो रुपए से कम नहीं होगा ।

(9) किसी लाटरी स्कीम में पहला पुरस्कार दस हजार रुपए से कम नहीं होगा ।

(10) आयोजक राज्य लाटरी के बंपर ड्रा के लिए प्रति ड्रा 5 लाख रुपए की न्यूनतम रकम और लाटरी के सभी अन्य प्ररुपों के लिए प्रति ड्रा 10 हजार रुपए की न्यूनतम रकम प्रभारित करेगा ।

(11) वह राज्य सरकार, जिसकी अधिकारिता के अधीन लाटरी टिकट विक्रय किए जा रहे हैं, आयोजक राज्य से प्रति ड्रा न्यूनतम दो हजार रुपए की रकम प्रभारित करने की हकदार होगी, किंतु प्रभारणीय अधिकतम रकम उस रकम से अधिक नही होगी जो राज्य सरकार द्वारा अपनी स्वंय की लाटरी से प्रभारित की जा रही है ।

(12) आयोजक राज्य ड्रा के परिणाम को कम से कम एक राष्ट्रीय स्तर के और दो राज्य स्तर के समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा, जिनमें से एक अंग्रेजी के साथ-साथ उसके राजपत्र में होगा ।

(13) आयोजक राज्य, राज्य सरकार के सचिव की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी को अभिहित प्राधिकारी के रूप में पदाभिहित करेगा जो राज्य में लाटरी के आयोजन के लिए उत्तरदायी होगा ।

(14) कोई आयोजक राज्य किसी प्ररूप या संयोजन में एकल, दोहरे या तिहरे अंक के आधार पर लाटरी टिकट पर या ऑनलाइन लाटरी में पुरुस्कार का प्रस्ताव नही करेगा ।

(15) उन मामलों में, जहां कोई आयोजक राज्य वितरकों या विक्रय अभिकर्ताओं की नियुक्ति करता है या उन्हें प्राधिकृत करता है, आयोजक राज्य का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि उक्त वितरक या विक्रय अभिकर्ता अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुरूप कार्य करते हैं ।

(16) आयोजक राज्य, आयोजक राज्य द्वारा विहित की गई रीति में प्रत्येक ड्रा के संबंध में मुद्रित टिकटों, विक्रय के लिए जारी टिकटों, विक्रीत टिकटों, ड्रा के समय विक्रीत नही हुए टिकटों , और पुरुस्कारों की रकम के साथ पुरुस्कार जीतने वाले टिकटों के अभिलेख रखेगा ।

(17) आयोजक राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि वितरकों या विक्रय अभिकर्ताओं या किसी अन्य स्रोत से यथाअभिप्राप्त, लाटरी टिकटों के विक्रय आगम आयोजक राज्य के लोक खाता लेखा या संचित निधि में जमा किए जाएं ।

(18) आयोजक राज्य का यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा कि पुरुस्कारों पर आय-कर, जहां कंही लागू हो, स्रोत पर कटौती किया जाए तथा पुरुस्कार की धनराशि को पुरुस्कार विजेता (विजेताओं) के बैंक खाते (खातों) में जमा कर दिया जाए ।

(19) प्रत्येक आयोजक राज्य आनलाइन लाटरी सहित उसके द्वारा आयोजित विभिन्न लाटरी स्कीमों का एक वार्षिक वित्तीय और प्रणाली संपरीक्षा संचालित करेगा ।

(20) केन्द्रीय सरकार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक या इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से किसी आयोजक राज्य द्वारा अयोजित किसी लाटरी या लाटरी स्कीम की विशेष संपरीक्षा करा सकेगी और उस पर उचित कार्रवाई करा सकेगी ।

(21) आयोजक राज्य किसी कदाचार से बचने के लिए ड्रा की प्रक्रिया सहित परिणामों के प्रकाशन तक सभी स्तरों पर लाटरी के संचालन के प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए उपयुक्त साधन और प्रक्रियाएं खोजेगा ।

(22) प्रत्येक राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी लाटरी किसी भी प्ररूप में आयेजक राज्य या इसकी अधिकारिता के भीतर नियुक्त वितरकों या विक्रय अभिकर्ताओं से भिन्न किसी अन्य प्राधिकारी द्वार अयोजित न की जाए ।

4. **वितरक या विक्रय अभिकर्ता की नियुक्ति**-(1) आयोजक राज्य वितरकों या विक्रय अभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिए अर्हताएं, अनुभव और निबंधन और शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

(2) वितरक या विक्रय अभिकर्ता, अयोजक राज्य द्वारा यथाविनिर्दिष्ट, सुरक्षा निक्षेप या बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा ।

(3) वितरक या विक्रय अभिकर्ता अन्य विवरणों के साथ, जो आयोजक राज्य द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, आयोजक राज्य से प्राप्त टिकटों, विक्रीत टिकटों और ड्रा की तारीख और समय विक्रीत नहीं हुए टिकटों का अभिलेख अनुरक्षित करेगा ।

(4) आयोजक राज्य, आयोजक राज्य के लोक खाता लेखा या संचित निधि में इस प्रकार निक्षिप्त धन राशि से वितरकों या विक्रय अभिकर्ताओं को उन्हें शोध्य कोई कमीशन या विजेताओं को वितरकों या विक्रय अभिकर्ताओं द्वारा संवितरित पुरुस्कार की रकमें, यदि कोई हों, संदत्त करेगा ।

(5) वितरक या विक्रय अभिकर्ता टिकटों की बिक्री के माध्यम से आयोजक राज्य के लोक खाता लेखा या संचित निधि में निक्षिप्त धन राशि के चालान के साथ आयोजक राज्य को पूर्ण विवरण के साथ विक्रीत नही हुए टिकट वापस करेंगे ।

(6) विक्रीत नहीं हुए टिकट और लाटरी टिकटों के उपयोग नही हुए प्रतिपर्ण, समय-समय पर, आयोजक राज्य द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में जमा किए जाएंगे ।

5. केन्द्रीय सरकार द्वारा लाटरी टिकटों के विक्रय को प्रतिषिद्ध करने की प्रक्रिया-(1) यदि किसी राज्य सरकार की यह राय है कि आयोजक राज्य या उनके वितरक या विक्रय अभिकर्ता लाटरियों का आयोजन अधिनियम और इसके नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में कर रहे हैं, तो वह जानकारी में आए ऐसे उल्लंघनों या ऐसी अनियमितताओं के विवरण के साथ संबंधित आयोजक राज्य की जानकारी में तुरंत ऐसे उल्लंघनों को लाएगी और केन्द्रीय सरकार को भी ऐसे उल्लंघनों या अनियमितताओं से अवगत कराया जाएगा ।

(2) आयोजक राज्य ऐसी संसूचना की प्राप्ति के तीस दिनों की अवधि के भीतर, उपनियम (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा उठाए गए विवाद्यकों के बारे में उपयुक्त प्रत्युत्तर भेजेगा ।

(3) उस मामले में जहां संबंधित राज्य सरकार उपनियम (2) के अधीन आयोजक राज्य द्वारा भेजे गए प्रत्युत्तर से संतुष्ट नहीं हैं या आयोजक राज्य उक्त लाटरी स्कीम के आयोजन को रोकने के लिए प्रतिउत्तर नही देता या कार्रवाई नही करता तो, संबंधित राज्य सरकार, जिसकी अधिकारिता के अधीन लाटरी टिकट विक्रय किए जा रहे हैं, अपने राज्य की भौगोलिक सीमाओं में आयोजक राज्य की ऐसी लाटरी स्कीम पर रोक लगाने सहित की जाने वाली कार्रवाई पर अपनी अनुशसांओं के साथ उल्लंघनों या अनियमतताओं के सभी सुसंगत वर्णन केन्द्रीय सरकार की जानकारी में ला सकेगी ।

(4) केन्द्रीय सरकार, आयोजक राज्य को या तो लिखित में या व्यक्तिगत रूप से, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् यह अंतिम विनिश्चय करेगी कि क्या अधिनियम की धारा 6 के अधीन आयोजक राज्य की लाटरी स्कीम के विरुद्ध कार्रवाई करना अपेक्षित है ।

(5) यदि केन्द्रीय सरकार ऐसी किसी लाटरी स्कीम को प्रतिषिद्ध करने का विनिश्चय करती है तो वह अधिनियम की धारा 6 के अधीन ऐसी लाटरी को प्रतिषिद्ध करने का आदेश जारी करेगी और संबंधित राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार के विनिश्चय के बारे में दैनिक समाचार पत्रों या इलैक्ट्रानिक मीडिया या दोनों के माध्यम से व्यापक प्रचार करने का निदेश देगी ।

[फा. सं. वी-17013/31/2004-सीएसआर-I]

डॉ. निर्मलजीत सिंह कलसी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2010

G.S.R. 278(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Lotteries (Regulation) Act, 1998 (Act 17 of 1998), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Lotteries (Regulation) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** - (1) In the rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Lotteries (Regulation) Act, 1998 (17 of 1998);

(b) "central computer server" means a system of multiple computers at a central location under the direct control of the Organising State that accepts, processes, stores and validates the online lottery transactions or otherwise manages, monitors and controls the entire system of online lottery;

(c) "distributor or selling agent" means an individual or a firm or a body corporate or other legal entity under law so appointed by the Organising State through an agreement to market and sell lotteries on behalf of the Organising State;

(d) "draw" means a method by which the prize winning numbers are drawn for each lottery or lottery scheme by operating the draw machine

or any other mechanical method based on random technology, which is also visibly transparent to the viewers;

(e) "online lottery" means a system created to permit players to purchase lottery tickets generated by the computer or online machine at the lottery terminals where the information about the sale of a ticket and the player's choice of any particular number or combination of numbers is simultaneously registered with the central computer server;

(f)"Organising State" means the State Government which conducts the lottery either in its own territory or sells its tickets in the territory of any other State;

(g) "prize" means the amount payable against a winning number ticket;

(h) "sale proceeds" means the amount payable by the distributor to the Organising State in respect of sale of tickets calculated at the face value printed on each ticket in respect of lotteries of a particular draw or scheme or both;

(i) "security deposit" means a deposit or amount or bank guarantee paid to the Organising State by the distributor or selling agent in any form for due fulfillment of the contract.

(2) Words and expressions used but not defined herein but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Organisation of Lottery.** - (1) A State Government may organise a paper lottery or online lottery or both subject to the conditions specified in the Act and these rules.

(2) The State Government may organise a lottery or lotteries, if it so decides, by issuing a notification in its Official Gazette, outlining the purpose, scope, limitation and methods thereof.

(3) The Organising State shall announce in advance, by way of a notification in the Official Gazette, the following information about every lottery, namely:-

(a) the name of the lottery or lottery scheme;

(b) prices of the lottery ticket;

(c) total number of tickets printed in case of paper lottery;

(d) gross value of the tickets printed;

(e) name or names of the distributors or selling agents with their addresses and contact information;

(f) prize structure;

(g) the amount offered as prize money;

(h) periodicity of the draw;

(i) the place where the draw shall be conducted; and

(j) the procedure for drawing the prize winning tickets or prize-winners.

(4) In case an Organising State decides to organise more than one lottery, the procedure as provided in sub-rule(3) shall be followed for each lottery.

(5) The paper lottery tickets and the stationery on which the online lottery tickets are issued shall be printed by the Organising State at a Government Press or any other high security press included in the panel of the Reserve Bank of India or the Indian Banks' Association, Mumbai.

(6) The number of lottery draws except bumper draw by an Organising State, from all the lottery schemes put together, shall not be more than twenty four per day.

(7) No draws of a lottery shall be conducted on any National Holiday.

(8) The minimum sale price of a ticket shall not be less than two rupees.

(9) The first prize in any lottery scheme shall not be less than ten thousand rupees.

(10) The Organising State shall charge a minimum amount of five lakh rupees per draw for bumper draw of lottery and, for all other forms of lottery, a minimum amount of ten thousand rupees per draw.

(11) The State Government under whose jurisdiction the lottery tickets are being sold shall be entitled to charge a minimum amount of two thousand rupees per